संख्याः 2–219 / 2019–हि0प्र0वि0वि0(सा0)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् 'ए' ग्रेड विश्वविद्यालय)
"सामान्य प्रशासन शाखा"
.....

प्रेषित,

1. आचार्य सिकन्दर कुमार, माननीय कुलपति, हि0प्र0वि0, शिमला–5
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं सचिव (वित्त), हि0प्र0 सरकार, शिमला–2
3. प्रधान सचिव (शिक्षा), हि0प्र0 सरकार, शिमला–2
4. शिक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–1
5. आचार्य श्याम लाल कौशल, अधिष्ठाता, वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय, हि0प्र0वि0,शिमला–5
6. आचार्य आशु कुमार गुप्ता, अधिष्ठाता दन्त–विज्ञान संकाय, आई.जी.एम.सी. शिमला–1
7. श्री आशिथ कुमार मिश्रा, प्राचार्य, राज0 महाविद्यालय देहरी, जिला कांगडा, हि0प्र0
8. श्री राकेश कुमार, माननीय विधायक, विधान सभा, सुन्दरनगर निर्वाचन क्षेत्र, गॉव पुंघ, डा0 व तह0 सुन्दरनगर जिला, मण्डी हि0प्र0।
9. आचार्य एस.एस. कंवर, जैव–प्रौद्योगिकी विभाग, हि0प्र0वि0, शिमला–5
10. श्री सुभाष ठाकुर, माननीय विधायक, विधान सभा, बिलासपुर सदर निर्वाचन क्षेत्र, मकान नं.23 / 4, सैक्टर–2, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)
11. आचार्य एन.के. शारदा, मंगलयान क्रंगनाधार, फेज़-III, शिमला–9
12. आचार्य वी.पी. शर्मा, वशिष्ट भवन, बीलो पुलिस पोस्ट समरहिल, शिमला–5
13. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, सह–आचार्य, पत्रकारिता विभाग, इक्डोल, हि0प्र0वि0, शिमला–5

दिनांकः शिमला–5, 09 JUL 2019

विषयः– **कार्यकारिणी परिषद की वर्ष 2019 की तृतीय नियमित बैठक की कार्यवाही।**

महोदय / महोदया,

कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2019 की तृतीय नियमित बैठक जो दिनांक 28 जून, 2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष में सम्पन्न हुई, की कार्यवाही आपके अवलोकनार्थ एवं पुष्टिकरण हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(घनश्याम चन्द)हि.प्र.से.
कुलसचिव / सदस्य–सचिव

दिनांकः 09 JUL 2019,

पृष्ठांकन संख्याः सम ।
प्रतिलिपि कार्यवाही की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1– प्रधान सचिव कुलाधिपति महोदय एवं माननीय राज्यपाल, हि0प्र0 राज भवन, शिमला को मद संख्या 12 से 31 की कार्यसूची सहित।
2– अधिष्ठाता अध्ययन / छात्र कल्याण / निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र / वित्त अधिकारी / परीक्षा नियन्त्रक, हि0प्र0वि0, शिमला–5
3– समस्त संकायों के अधिष्ठाता / समस्त अध्ययन विभागों के विभागाध्यक्ष, हि0प्र0वि0, शिमला–5
4– संयुक्त परीक्षक, स्थानीय लेखा विभाग / सहायक कुलसचिव (स्था0), हि0प्र0वि0, शिमला–5
5– प्राचार्य, हि0प्र0वि0 सांध्यकालीन अध्ययन केन्द्र, शिमला –1
6– प्रभारी, हि0प्र0वि0 वैव–साईट, हि0प्र0वि0, शिमला –5 को उपरोक्त कार्यवाही को विश्वविद्यालय वैब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
7– उप कुलसचिव(कुलपति कार्या0) / अनुभाग अधिकारी(कुलसचिव कार्या0), हि0प्र0वि0, शिमला–5
8– सचिव कुलपति, हि0प्र0वि0, शिमला–5
9– रक्षक मिसिल ।

कुलसचिव

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
'सामान्य प्रशासन शाखा'

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2019 की तृतीय नियमित बैठक की कार्यवाही जो दिनांक 28 जून 2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आचार्य सिकन्दर कुमार, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री नवनीत कपूर, उप सचिव (शिक्षा), नामिति प्रधान सचिव (शिक्षा)
2. डा. अमरजीत के. शर्मा, शिक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश
3. आचार्य श्याम लाल कौशल, अधिष्ठाता, वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय
4. आचार्य आशु कुमार गुप्ता, अधिष्ठाता दन्त-विज्ञान संकाय
5. श्री आशिथ कुमार मिश्रा, प्राचार्य
6. श्री राकेश कुमार, माननीय विधायक (सुन्दरनगर) नामिति विश्वविद्यालय कोर्ट
7. आचार्य एस.एस. कंवर, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
8. आचार्य एन.के. शारदा, नामिति कुलाधिपति
9. आचार्य वी.पी. शर्मा, नामिति कुलाधिपति
10. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, सह-आचार्य
11. श्री घनश्याम चन्द (हि.प्र.से.) कुलसचिव — सदस्य-सचिव

<u>मद संख्या-1:</u> कुलपति महोदय का वक्तव्य।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2019 की तृतीय नियमित बैठक में कुलपति महोदय ने सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया। उन्होने विशेष तौर पर आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान, प्रति-कुलपति जिनका कार्यकाल इसी माह समाप्त हुआ है, का कार्यकारिणी परिषद् की बैठकों में उनके योगदान के लिए विशेष आभार व धन्यवाद व्यक्त किया।

कुलपति महोदय ने परिषद् को अवगत करवाया कि विगत अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठियां और कार्यशालाऐं आयोजित की गईं:-

1. दिनांक 7 जून, 2019 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला व इलैक्ट्रॉन माईक्रोस्कोप सोसाईटी ऑफ इण्डिया द्वारा संयुक्त रूप से "इलैक्ट्रॉन माईक्रोस्कोपी एण्ड अलाइड एनालिटिकल टैक्नीक्स" विषय पर कुफरी में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

2. दिनांक 10 जून, 2019 को यूजीसी मानव संसाधन विकास केन्द्र द्वारा योग एवं शारीरिक शिक्षा विषय में पुनःश्चर्या कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

3. दिनांक 11 जून, 2019 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे–5 के सम्बन्ध में एक कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

4. दिनांक 11 जून, 2019 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर केन्द्र का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस समारोह में द्वितीय, चतुर्थ तथा छठे सत्र के जून 2017–18 में हुई परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक व खेलकूद गतिविधियों में शैक्षणिक सत्र 2018–19 में उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा जे.आर.एफ./नेट/सेट की परीक्षाओं के उत्तीर्ण छात्रों को सम्मानित किया गया।

5. दिनांक 12 जून, 2019 को हिमामचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

6. दिनांक 12 जून, 2019 को कुल्लू छात्र संघ का वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के वन मन्त्री, श्री गोविन्द ठाकुर जी थे।

7. दिनांक 13 जून, 2019 को सचिवालय में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

8. दिनांक 14 जून, 2019 को विश्वविद्यालय में ई.आर.पी. सिस्टम को और सुदृढ़ बनाने के लिए अधिष्ठाता अध्ययन, अधिष्ठाता नियोजन, परीक्षा नियन्त्रक, कुलसचिव, संयुक्त निदेशक, प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर, निदेशक यूआईआईटी, विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर विज्ञान विभाग, वित्त अधिकारी तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि के साथ एक उच्च्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई।

9. दिनांक 15 जून, 2019 को विश्वविद्यालय के मुख्य पुस्तकालय में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं का श्री अजय श्रीवास्तव, अधिषासी अभियन्ता, एस.पी.ओ., प्रभारी पुस्तकालय आचार्य खेम चन्द के साथ निरीक्षण किया।

10. दिनांक 18 जून, 2019 को विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों, महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों– जिनमें कोटशेरा, आर.के.एम.वी. तथा धर्मशाला महाविद्यालयों के साथ स्नातक पाठयक्रम के तहत 1990–2012 और 1990 के बाद स्नातकोत्तर पाठयक्रम के समकक्ष मामले के बारे में एक उच्च्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई।

11. दिनांक 18 जून, 2019 को ही यू.जी.सी. मानव संसाधन विकास केन्द्र और विज्ञान एवं तकनीकी विभाग नई दिल्ली द्वारा 21 दिवसीय भू.स्थानिक तकनीकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारम्भ किया गया।

12. दिनांक 18 जून, 2019 को ही दैनिक जागरण समाचार पत्र द्वारा होटल मरीना शिमला में हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मन्त्री श्री जय राम ठाकुर द्वारा विशेष कॉफी टेबल बुक के विमोचन अवसर पर भाग लिया।

13. दिनांक 19 जून, 2019 को कुलपति कार्यालय में विशेष रूप से विकलांग विद्यार्थियों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु बैठक की अध्यक्षता की।

14. दिनांक 19 जून, 2019 को कुलपति कार्यालय में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सौंदर्यकरण करने हेतु बैठक आयोजित की गई।

15. दिनांक 19 जून, 2019 को कुलपति कार्यालय में विश्वविद्यालय में पार्किंग के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध करवाने हेतु विचार विमर्श किया गया।

16. दिनांक 19 जून, 2019 को कुलपति कार्यालय में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ब्लॉक में कार्य स्टेशनों को स्थापित करने हेतु निर्माण शाखा के अधिकारियों तथा अन्य उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की।

17. दिनांक 19 जून, 2019 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित टी–20 क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतिम मैच में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

18. दिनांक 19 जून, 2019 को कुलपति कार्यालय में नेरी शोध संस्थान हेतु एक बैठक की अध्यक्षता की।

19. दिनांक 20 जून, 2019 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रस्तावित घणाहट्टी स्थित नए परिसर के विकास हेतु बैठक की अध्यक्षता की।

20. दिनांक 20 जून को कुलपति कार्यालय में विश्वविद्यालय में प्रिंटिंग प्रैस की स्थापना हेतु एक बैठक की अध्यक्षता की।

21. दिनांक 20 जून, 2019 को विश्वविद्यालय के प्रति–कुलपति आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान के सम्मान में एक विदाई समारोह आयोजित किया गया।

22. दिनांक 20 जून, 2019 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व विश्वविद्यालय परिसर से सी.टी.ओ.शिमला तक योग दौड़ का आयोजन किया गया।

23. दिनांक 21 जून, 2019 को विश्वविद्यालय परिसर में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

24. दिनांक 21 जून, 2019 को कुलपति कार्यालय में आयोजित विश्वविद्यालय की निशानदेही समिति के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।

25. दिनांक 21 जून, 2019 को कुलपति कार्यालय में विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों, उनके रखरखाव एवं विद्युत सम्बन्धी कार्य की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

26. दिनांक 24 जून, 2019 को विश्वविद्यालय के घणाहट्टी स्थित नए परिसर का विश्वविद्यालय की उच्च स्तरीय समिति तथा वन विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया।

27. दिनांक 25 जून, 2019 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा बैठक की।

तत्पश्चात कुलपति महोदय ने कुलसचिव से आग्रह किया कि वे आज के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद् के सम्मुख चर्चा एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत करें।

......

मद संख्या–2: कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 31.05.2019 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण।

कार्यकारिणी परिषद् ने पिछली बैठक दिनांक 31.05.2019 में लिए गए निर्णयों को निम्नलिखित संशोधनों के साथ पुष्टिकरण किया:–

मद संख्या: 9 : परिषद ने बी.बी.ए./बी.सी.ए. के छात्रों को सितम्बर, 2019 की सत्र परीक्षा तथा बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम व शास्त्री के छात्रों हेतु उपाधि पूर्ण करने हेतु विशेष अवसर मार्च, 2020 की वार्षिक परीक्षा के साथ प्रदान करने के निर्णय को अनुमोदन कर पुष्टिकरण किया।

मद संख्या:30 कार्यकारिणी परिषद् ने बैठक दिनांक 31.05.2019 की मद संख्या 30 के अंतर्गत लिए गए निर्णय को विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 16–4/2019.हि.प्र.वि. (प्रशासन) दिनांक 15.06.2019 के अनुरूप अनुमोदन कर पुष्टिकरण किया।

......

मद संख्या–3 कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 31.05.2019 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण।

कार्यकारिणी परिषद् द्वारा परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 31.05.2019 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को अवलोकित कर अनुमोदित किया।

......

मद संख्या–4: **माननीय कुलपति महोदय द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12-C(7) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिए गए निर्णय के संदर्भ में कृत कार्रवाई कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ/पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत है।**

कार्यकारिणी परिषद् ने कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12-C(7) के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2016 एव 2017 के छात्रों के लिए स्नातक स्तर (Undergraduate) में उपाधि मे उतीर्ण प्रतिशतता 45 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने के निर्णय को अधिसूचना संख्या 7–1/2004.हिपप्र.वि. (शैक्षणिक) दिनांक 14.06.2019 (संलग्नक–क) के अनुरूप अवलोकन कर अनुमोदित किया।

......

मद संख्या–5 **कार्यकारिणी परिषद् के सम्माननीय सदस्यों से यदि कोई मद प्राप्त हुई है के बारे में।**

कार्यकारिणी परिषद् के माननीय सदस्यों से प्राप्त मदों को अलग से मद के रूप में परिषद के निर्णय हेतु आगे प्रस्तुत किया गया है।

......

मद संख्याः 6 **आचार्य शशि कांत शर्मा, रसायन विज्ञान विषय की जीवनवृत उन्नति योजना के अतंर्गत आचार्य के पद पर पदोन्नति तिथि पुनः निर्धारित करने बारे गठित समिति की अनुशंसाएं परिषद के अवलोकन एवं उचित निर्णय हेतु प्रस्तुत है।**

कार्यकारिणी परिषद ने आचार्य शशि कांत शर्मा, रसायन विज्ञान विषय में जीवनवृत उन्नति योजना के अंर्तगत कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की सिफाारिशों के अनुरूप उनकी आचार्य के पद पर दिनांक 22.01.2010 के स्थान पर दिनांक 24.03.2009 करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

......

मद संख्याः 7 **The matter regarding withdrawal of the Committee constituted by the Executive Council vide Item No. 31 of its meeting held on 31-05-2019 to examine the complaint against Shri Pramod Sharma, Professor (under suspension), Himachal Pradesh University participating in political campaign for BJP candidate as the necessary disciplinary proceedings against him is to be initiated as per CCS (CCA) Rules,1965.**

कार्यकारिणी परिषद ने आचार्य प्रमोद शर्मा (under suspension) के भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में राजनीतिक प्रचार के कथित आरोप के मामले के परीक्षण हेतु गठित समिति से उक्त प्रकरण को वापिस लेने का निर्णय लिया तथा इस मामले में कानूनी सलाह के अनुरूप CCS (CCA) Rules 1965 के अंर्तगत आगामी कार्रवाई करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया। यद्यपि राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता के अन्य प्रकरणों पर कार्रवाई के लिए गठित उक्त समिति यथावत रहेगी।

......

मद संख्याः 8 **To place before the Executive Council the letter No. EDN-H(8) A (1) 38- Pvt. Inst./2012 – Yen College (BLP) dated 18/01/2019 and EDN –H (8) A (1) 38-Pvt.Inst./2012 – Yen Law College (BLP) dated 16/03/2019 from Director of Higher Education, Himachal Pradesh regarding cancellation / withdrawal of No Objection Certificate of Yen Law College, Bilaspur, (HP).**

कार्यकारिणी परिषद ने Yen Law College, Bilaspur के पक्ष में बी.ए.एल.एल.बी. व एल.एल.बी. पाठ्यक्रमों हेतु प्रदेश सरकार द्वारा उक्त महाविद्यालय को जारी अनापति प्रमाण पत्र के वापिस लेने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सम्बद्धता को वापिस लेने हेतु अनुमोदन प्रदान किया। तथापि परिषद् ने महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय लिया कि उक्त महाविद्यालय को अध्ययनरत छात्रों की उपाधि पूर्ण करने के मध्यनज़र चरणबद्ध तरीके से कक्षाएं बंद करनी होगी व कक्षाओं के बन्द करने के फलस्वरूप श्रम कानून की अनुपालना भी सुनिश्चित करनी होगी।

......

मद संख्या 9: **वित्त समिति की दिनांक 13–06–2019 को हुई बैठक की सिफारिशें कार्यकारिणी परिषद् के अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।**

कार्यकारिणी परिषद् ने वित्त समिति की दिनांक 13.06.2019 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही रिर्पोट को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया।

मद संख्या 10 **To place before the Executive Council the matter of archiving and display of important institutional documents.**

कार्यकारिणी परिषद् ने मद को अवलोकित कर मदानुसार अनुमोदन प्रदान किया। तथापि परिषद् ने उक्त उद्देश्यों की कार्य योजना तैयार करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया।

......

मद संख्या:11 **To place before the Executive Council the matter of Special Travel Allowance/ Subsistence allowance to teaching and non-teaching staff deputed for examination related and other official work(s) outside HPU campus.**

मद पर विस्तृत चर्चा करने के उपरांत कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि इस प्रकरण को पूर्ण तथ्यों सहित परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

......

मद संख्या:12 **To place before the Executive Council the matter of creation of a document to ensure duties of the institution towards Persons with Disabilities (PwD).**

कार्यकारिणी परिषद् ने मद पर विस्तृत चर्चा करने के उपरांत निर्णय लिया कि इस प्रकरण को पूर्ण तथ्यों सहित परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

......

मद संख्या:13 **Matter regarding grant of formal sanction/approval of Executive Council for initiating disciplinary inquiry by the Government against Dr. Joginder Singh Negi, Controller of Examinations in connection with embezzlement amounting to Rs.50,52,065/- during his tenure w.e.f. 08-01-2013 to 01-04-2016 as Principal/DDO in Govt. College Sanjauli, Shimla-6.**

कार्यकारिणी परिषद् ने मद पर विस्तृत चर्चा के उपरांत परिषद् ने प्रदेश सरकार के निवेदन अनुसार डा. जे.एस.नेगी, परीक्षा नियंत्रक के विरूद्ध उनके राजकीय महाविद्यालय, संजौली के प्रधानाचार्य के पद पर कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताओं की जांच व नियमानुसार आगामी कार्रवाई तदोनुरूप अमल में लाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

......

मद संख्या:14 **To place before the Executive Council, the proceedings of the meeting of the Advisory Committee of the Cost of Cultivation Scheme.**

कार्यकारिणी परिषद् ने कृषि लागत योजना (CCS) की सलाहकार समिति की दिनांक 22.06.2019 को हुई बैठक की कार्यवाही को **संलग्न** के अनुरूप अनुमोदित किया।

......

मद संख्या:15 **हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में श्री हेम राज, सेवा–निवृत कनिष्ठ तकनीशियन, ग्रुप–4 को कनिष्ठ तकनीशियन ग्रुप–4 की सेवाएं प्रदान करने हेतु पुनर्नियुक्ति प्रदान करने बारे मामला।**

कार्यकारिणी परिषद् ने मद पर विस्तृत चर्चा उपरांत मनोविज्ञान विभाग में तकनीशियन की नियुक्ति होने तक श्री हेम राज, सेवानिवृत कनिष्ठ तकनीशियन, ग्रुप–4 को उक्त पद पर पुर्ननियुक्ति को इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया कि कर्मचारी को नियमानुसार मानदेय दिया जाए।

......

मद संख्या:16 **Conduct of Special examination for the students of Under-graduate who have attended the All India Vayu Sanik Camp and other NCC/NSS Programme in October/November, 2018 for the consideration of the Executive Council.**

कार्यकारिणी परिषद् ने मद पर विस्तृत चर्चा उपरांत All India Vayu Sanik Camp and other NCC/NSS Programme in October / November, 2018 में भाग लेने के कारण जो विद्यार्थी अक्टूबर/नवम्बर. 2018 में पांचवे सत्र की परीक्षा नहीं दे पाए थे, उनके लिए 5वें सत्र की स्नातक स्तर की विशेष परीक्षा आयोजित करने हेतू अनुमोदन प्रदान किया ।

......

मद संख्या:17 **To place before the Executive Council, the matter regarding the expansion of existing Wi-Fi University Campus & Hostels.**

कार्यकारिणी परिषद् ने मद पर विस्तृत चर्चा एवं तकनीकी समिति से प्रतिपुष्टि के उपरांत Wi-Fi सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु M/s Pace Info Solution Pvt. Ltd. को आपूर्ति आदेश (Supply Orders) जारी करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या:18 **Regarding the proposal of Streams-wise / Subjects-wise/ Branches-wise bifurcation of notified vide Notification No.9-30/2000-HPU(Genl.)Vol.II dated 23rd February, 2019 of Teaching Posts: Professors-03 (37400-67000+10000 Grade pay), Associate Professor-06 (37400-67000+9000 Grade pay), Assistant Professor-30 (15600-39100+6000 Grade pay) in UIIT to run the three New Branches namely, Civil Engineering, Electrical Engineering and Electronics & Communication Engineering in UIIT is to be placed in the Executive Council meeting.**

कार्यकारिणी परिषद् ने मद पर विस्तृत चर्चा कर विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, शिमला–5 हेतु शिक्षकों के सृजित पदो का विषयवार आंबटन निम्न प्रकार से करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

Streams/ Subjects/ Branches wise				
Sr.No.	Name of Post	Civil Engineering (CE)	Electrical Engineering (EE)	Electornics & Communications Engineering (ECE)
1.	Professor (03)	01	01	01
2.	Assocaite Professor (06)	02	02	02
3.	Assistant Professor (30)	10	10	10

......

मद संख्या:19 **The matter regarding revocation of expulsion of the students expelled vide notification No. 1-37/2014-HPU(DS) dated 19-09-2014 and further notified vide No. 4-39/2002-HPU(Acad.) dated 21st November, 2014.**

कार्यकारिणी परिषद् ने मद पर विस्तृत चर्चा उपरांत इस प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखने का निर्णय लिया।

......

मद संख्याः 20 **हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्र, धर्मशाला में शैक्षणिक सत्र 2019–20 से इतिहास विषय को आरम्भ करने हेतु निदेशक की अनुशंसा अनुरुप लोक प्रशासन विषय में सहायक आचार्य के तीन पदों में से एक पद एवं एम.एम.सी. विषय में सहायक आचार्य के सृजित दो पदों को इतिहास विषय में परिवर्तित कर सृजित करने का मामला।**

कार्यकारिणी परिषद् ने मद पर विस्तृत चर्चा उपरांत क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र, धर्मशाला में शैक्षणिक सत्र 2019–20 से इतिहास विषय को आरम्भ करने हेतु उक्त केन्द्र में एम.एम.सी विषय के सहायक आचार्यों के पूर्व में सृजित दो पदों को इतिहास विषय में परिवर्तित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया। कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि ऐसे शैक्षणिक मामलों को भविष्य में विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद् के माध्यम से कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

......

मद संख्याः 21 **To consider the request of Mr.Surender Paul Ph.D.student of Journalism and Mass Communication for six (6) month extension/exemption due to serious ailment (cancer) on medical grounds.**

कार्यकारिणी परिषद् ने मद पर विस्तृत चर्चा कर पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में पी.एच.डी. शोधार्थी श्री सुरेन्द्र पाल के गंभीर रोग से ग्रसित होने के कारण चिकित्सीय आधार पर उनके पक्ष में पीएच. डी. शोध कार्य बिना शुल्क पूर्ण करने हेतु छः माह का विस्तार प्रदान करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

......

मद संख्याः 22 **To place before the Executive Council the matter of consideration of re-evaluation marks over supplementary marks.**

कार्यकारिणी परिषद् ने मद पर विस्तृत चर्चा उपरांत विश्वविद्यालय अध्यादेश की धारा 6.70(e) के प्रावधान में छूट प्रदान करते हुए बी.डी. एस. के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के ऐसे छात्रों जिन्होने सम्बन्धित परीक्षाओं को पूनर्मूल्यांकन के माध्यम से उतीर्ण किया है, को अगली कक्षाओं में केवल प्रवेश/प्रोन्नति के लिए अनुमोदन प्रदान किया तथापि ऐसे विद्यार्थी किसी पुरस्कार/ छात्रवृति/ पदक इत्यादि के लिए पात्र नहीं होगे। इसके अतिरिक्त परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि इसे भविष्य के लिए परम्परा न समझा जाए।

......

मद संख्या:23 **हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूल कार्यालय में कार्यरत, श्री रणजीत सिंह चालक (हल्का वाहन) के अभ्यावेदन अनुसार उनकी सेंवाओं की नियमितिकरण की तिथि को ढाई माह पूर्व नियतन (Prepone) करके नई अंशदायी पेंशन योजना (New contributory Pension Scheme) के बजाय पुरानी पेंशन स्कीम के अंर्तगत सेवाएं विनियमित करने बारे मामला।**

कार्यकारिणी परिषद् ने श्री रणजीत सिंह, चालक, हल्का वाहन के अभ्यावेदन के अनुरूप उनकी सेवाओं की नियमितिकरण की तिथि को ढाई माह पूर्व नियतन (Prepone) करके उनके पक्ष में नई अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना के अंर्तगत सेवाएं विनियमित करने को सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया। इसके अतिरिक्त परिषद् ने ऐसे सभी 53 समरूप प्रकरणों को पूर्ण तथ्यों सहित वित्त समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ एवं अनुशंसा हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

......

मद संख्या: 24 **विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान के अनुसार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन 2017–18 कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ व अनुमोदन हेतु।**

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन 2017–18 को नोट कर अनुमोदन प्रदान किया।

......

मद संख्या: 25 **To place before the Executive Council the matter of adoption of Recruitment and Promotional Rules for the Programmers working in Computer Centre of the University, on the analogy of neighbouring Universities (Panjab University Chandigarh and Punjabi University, Patiala)**

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा के कम्प्यूटर केन्द्र में कार्यरत प्रोग्रामरों को पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ की पद्धति पर भर्ती एवं पदोन्नति नियमों व वेतनमान के अनुसार अपनाने हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया। तथापि कार्यकारिणी परिषद् ने इस प्रकरण को वित्त समिति के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण इसे वित्त समिति के माध्यम से परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनुमोदित किया।

......

मद संख्या 26: **भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में निहित प्रावधान के अंतर्गत आवश्यक सेवाकाल में 2 माह की छूट प्रदान करके योजना एवं विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ/अनुमति हेतु प्रस्तुत।**

कार्यकारिणी परिषद् ने श्रीमती कुसुम शर्मा, उप–कुलसचिव की योजना एवं विकास अधिकारी पद पर पदोन्नति के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम के अनुरूप निर्धारित सेवाकाल की शर्त में 2 माह की छूट प्रदान करते हुए उक्त अधिकारी की दिनांक 30.06.2019 को सेवानिवृत्ति के दृष्टिगत योजना एवं विकास अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु अनुमोदन प्रदान किया। कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि इस प्रकरण को वित्त समिति की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

......

मद संख्या 27 **सर्वश्री भाग सिंह व देवेन्द्र कुमार, चालक (हल्का वाहन) के प्रतिवेदन जिसमें उन्होने उनके पद को लिपिक के पद में परिवर्तित करने बारे अनुरोध किया गया है, कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं जो भी उचित संस्तुति हो हेतु रखने बारे।**

अनुमोदित व कार्यकारिणी परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 18.01.2019 में यथास्थान मद संख्या–1 में लिये गये निर्णय अनुसार इसे भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप निपटाने की अनुशंसा की।

......

मद संख्या 28 **To place before the Executive Council the matter regarding functioning of Local Audit and disbanding of Local Audit Scheme from the H.P. University as per the demand of various non-teaching employees union of the University.**

कार्यकारिणी परिषद ने मद पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने के उपरांत विश्वविद्यालय स्थित स्थानीय लेखा परीक्षा की कार्यपद्धति व अनावश्यक आपत्तियों/टिप्पणियों के कारण विश्वविद्यालय के कार्य में हो रहे अनावश्यक विलम्ब हेतु अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की। परिषद् ने सर्वसम्मति से अनुशंसा की कि विश्वविद्यालय में कार्यरत स्थानीय लेखा परीक्षा के कर्मचारियों का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं उपस्थिति को विश्वविद्यालय प्रशासन के माध्यम से संचालित किया जाना अपेक्षित है। अतः परिषद् ने यह निर्णय लिया कि स्थानीय लेखा परीक्षा के विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों की उपस्थिति कुलसचिव देखेंगे तथा कुलपति

इन अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों की समीक्षा कर सम्बन्धित अधिकारियों को भेजेंगे। कार्यकारिणी परिषद् ने कुलपति व कार्यकारिणी परिषद् के माननीय सदस्य विधायक श्री राकेश कुमार जमवाल को मामला प्रदेश सरकार के साथ उठाने हेतु भी अधिकृत किया।

मद संख्या 29 **To place before the Executive Council the proceedings of the committee constituted by the Vice-Chancellor to review the policy and programme for appointment of Assistant Professor in the University/ Colleges as per UGC Regulations- 2018.**

कार्यकारिणी परिषद् ने मद पर विस्तृत चर्चा कर समिति की सिफारिशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी विनियम–2018 के अनुरूप विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु नीति एवं कार्यक्रम को संलग्नक के अनुरूप अनुमोदित किया।

......

<u>यथास्थान चर्चा</u>

माननीय सदस्य श्री अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 1970 के अनुच्छेद 22 को Persons with Disabilities Act -2016(RPD Act 2016) तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा समय–समय पर पारित विभिन्न निर्णयों के अनुकूल न होने के कारण संशोधन हेतु अनुरोध किया। इस पर कुलपति ने प्रकरण पर आवश्यक समिति गठित करने के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई किए जाने हेतु आश्वासन दिया।

माननीय सदस्य आचार्य एस.एस.कवंर द्वारा विश्वविद्यालय के गैर–शिक्षक कर्मचारियों की प्रशासनिक व वित्तीय प्रकरणों में दक्षता हेतु हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (HIPA) द्वारा आयोजित किए जाने वाले अल्पावधि प्रशिक्षण प्रदान करने का सुझाव दिया जिस पर कुलपति ने सूचित किया कि विश्वविद्यालय समय–समय पर ऐसे प्रशिक्षण / कार्यक्रम आयोजित करता रहा है तथा वित्तीय मामलों हेतु विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास केन्द्र में प्रशिक्षण हेतु आवश्यक कार्रवाई अमल में लाए जाने का आश्वासन दिया।

माननीय सदस्य आचार्य एस.एस.कवंर ने कार्यकारिणी परिषद् के ध्यानाकर्षण यह प्रस्ताव रखा कि डॉ० डी. आर. ठाकुर, जीव विज्ञान विभाग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–निर्देशानुसार, बिना किसी अवकाश लिए पी. एच.डी. डिग्री अपनी सामान्य अध्यापन गतिविधियों के साथ पूर्ण की है तथा चाहा कि इस अध्यापन अनुभव को उनके जीवनवृत उन्नति योजना के लिए पदोन्नति की पात्रता हेतु सम्मिलित किया जाए।

कुलपति ने इस प्रकरण में परीक्षणोंपरान्त आवश्यक निर्णय लेने हेतु आश्वस्त किया।

माननीय सदस्य श्री आशिथ कुमार मिश्रा द्वारा महाविद्यालयों के अधिकारियों / कर्मचारियों के विश्ववविद्यालय प्रवास के दौरान विश्वविद्यालय संकाय भवन में ठहरने के लिए निधार्रित शुल्क को रू. 700 / – से घटाकर न्यूनतम करने हेतु अनुरोध किया। कुलपति ने इस प्रकरण पर परीक्षण करने के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया।

माननीय सदस्य श्री अजय श्रीवास्तव द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे अनाधिकृत ढाबों में खाद्य पदार्थों की गुणवता व सफाई व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए इन पर अंकुश लगाने हेतु अनुरोध किया। इस प्रकरण की जांच के उपरांत कुलपति ने नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया।

चर्चा में हिस्सा लेते हुए कुलसचिव ने अवगत करवाया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की निर्माण शाखा आज तक रू. पांच लाख से ऊपर के कार्यो का बिना e-tender आमंत्रित किए off-line mode में ठेके स्वीकृत कर रहा है जोकि हि.प्र. सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लघंन है। इस पर कुलपति ने मामले की जांच कर आवश्यक दिशानिर्देश देने का आश्वासन दिया।

अंत में बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

(घनश्याम चंद) हि.प्र.से.
कुलसचिव
सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण

(आचार्य सिकन्दर कुमार)
कुलपति / सभापति

मद संख्या – 9
सलग्नक

संख्या: 1-1/2019- हि.प्र.वि.वि. (बजट)
वित्त अधिकारी

मद संख्या: 9 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय वित्त समिति की दिनांक 13.06.2019 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट कार्यकारिणी परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

टिप्पणी: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय वित्त समिति की बैठक दिनांक 13.06.2019 को 11:30 बजे (पूर्वाहन) माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में समिति कक्ष, आर्म्सडेल भवन, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-2 में सम्पन्न हुई । उपरोक्त बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट (संलग्नक 'क') कार्यकारिणी परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय वित्त समिति की बैठक दिनांक 13.06.2019 की कार्यवाही रिपोर्ट ।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक दिनांक 13.06.2019 को 11:30 बजे पूर्वाह्न समिति कक्ष आर्म्सडेल भवन, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-2 में आचार्य सिकन्दर कुमार, कुलपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:

1.	आचार्य सिकन्दर कुमार, कुलपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5	अध्यक्ष
2.	आचार्य राजेन्द्र सिंह चौहान, प्रति-कुलपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5	सदस्य
3.	श्री अनिल कुमार खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2	सदस्य
4.	आचार्य नैन सिंह, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5	सदस्य
5.	डॉ. जे. एस. नेगी, कुल सचिव, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5	सदस्य
6.	श्री नरेन्द्र ठाकुर, वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5	सदस्य-सचिव

मद संख्या 1. कुलपति महोदय का वक्तव्य ।

बैठक माननीय कुलपति महोदय के स्वागत भाषण के साथ आरंभ हुई जिसमें माननीय कुलपति महोदय ने वित्त समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा समिति को विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति के बारे में अवगत करवाया। कुलपति महोदय द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में विश्वविद्यालय को नए पाठ्यक्रमों एवं प्रकोष्ठों में शिक्षकों /गैर-शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का निवेदन किया ।

मद संख्या 2. वित्त समिति की दिनांक 18.01.2019 की बैठक तथा दिनांक 26.02.2019 और 01.03.2019 को परिचालन द्वारा (by circulation) आयोजितबैठकों की कार्यवाही की पुष्टि ।

वित्त समिति द्वारा दिनांक 18.01.2019 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट की मद संख्या 5,7,18, 35 तथा यथास्थान मद संख्या 7 में निम्नलिखित प्रस्तावित संशोधनों सहित पुष्टीकरण एवं स्वीकृति प्रदान की :

मद संख्या 5. वित्त समिति द्वारा मद पर लिए गए निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए वरिष्ठ सहायक के सृजित पद को अनुबंध आधार के स्थान पर पदोन्नति द्वारा एवं चतुर्थ श्रेणी के सृजित पद को दैनिक वेतन आधार पर भरने की पुष्टि एवं स्वीकृति प्रदान की गई ।

मद संख्या 7. वित्त समिति ने मद पर लिए गए निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए वरिष्ठ सहायक के सृजित पद को अनुबंध आधार के स्थान पर पदोन्नति द्वारा तथा सेवादार के पद को दैनिक वेतन आधार पर भरने की पुष्टि एवं स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या 18. वित्त समिति द्वारा मद पर UIIT विभाग में विभागीय कार्य निष्पादन के लिए आवश्कतानुसार मासिक आधार पर टैक्सी सेवा के लिए सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की थी जिसमें प्रस्तावित संशोधन को मासिक आधार पर संशोधित किए जाने की पुष्टि एवं स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या 35. वित्त समिति द्वारा मद पर लिएगए निर्णय में कार्यकारिणी परिषद द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए Assistant Editor वेतनमान 10300+34800+ 4400 (GP) के एक पद सृजन की अधिसूचना संख्या 9-5/80-HPU (Genl.) दिनांक 28.05.2019 की कार्योत्तर स्वीकृति एवं आवश्यक संशोधन की पुष्टि एवं स्वीकृति प्रदान की ।

यथा स्थानमद 7. वित्त समिति द्वारा बैठक में यथा स्थान प्रस्तुत मद पर लिए गए निर्णय के अनुसार जारी अधिसूचना संख्या 9-30/2000-HPU (Genl.)Vol. II दिनांक 23.02.2019 का पुष्टिकरण किया गया ।

मद संख्या 3. वित्त समिति की दिनांक 18.01.2019 की बैठक तथा दिनांक 26.02.2019 और 01.03.2019 को परिचालन द्वारा (by circulation) आयोजित बैठकों की कार्यवाही रिपोर्ट ।

वित्त समिति ने उपरोक्त बैठकों की कार्यवाही का अवलोकन कर दिनांक 18.01.2019 की बैठक की मद संख्या 15 के अंतर्गत लिए गए निर्णय में स्वयं पोषित विभागों/प्रोजेक्ट के कर्मचारियों को विश्वविद्यालय की मुख्य धारा में समाहित किए जाने की अधिसूचना संख्या 9-30/2000-HPU (Genl.) Vol. II दिनांक 30.05.2019 में निम्नलिखित संशोधनों सहित पुष्टि की:

(i) मद के साथ संलग्न Annexure-A क्रम संख्या 35 पर अंकित Sports Incharge के स्थान पर Assistant Director (Sports) के पद को वेतनमान 10300-34800+4600 (GP) पर सृजित कर मुख्य धारा में समाहित करने की स्वीकृति प्रदान की तथा क्रम संख्या 60 पर अंकित Information Officer के पद को प्रदेश सरकार के सूचना एवं जन संपर्क विभाग में समकक्ष पद के वेतनमान में सृजित कर मुख्य धारा में समाहित करने की स्वीकृति प्रदान की ।

(ii) मद के साथ संलग्न Annexure-B में क्रमांक 12 को विश्वविद्यालय में समकक्ष पदों के वेतनमान 15600-39100+6000 (AGP) में सृजित कर मुख्य धारा में समाहित करने की स्वीकृति प्रदान की यदि कर्मचारी उक्त पद की शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करते हों ।

(iii) मद के साथ संलग्न Annexure-B में क्रमांक 13 व 15 में अंकित पदों का सृजन कर राज्य सरकार के समकक्ष पदों के अनुसार वेतनमान प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की ।

(iv) उपरोक्त के अतिरिक्त वित्त समिति के समक्ष श्री नरेश कुमार, चालक AERC की सेवाओं को भी मद संख्या 15 के अनुसार स्वयं वित्त पोषित विभागों/ प्रोजेक्ट में कार्यरत कर्मचारियों की तर्ज पर विश्वविद्यालय में अनुबंध आधार पर समाहित करने की संस्तुति प्रदान की ।

मद संख्या 4. To place before the Finance Committee the matter regarding Installation of Wi-Fi internet connectivity in the campus of H.P. University, Shimla.

अनुमोदित । विश्वविद्यालय परिसर एवं छात्रावासों में CISCO based Wi-Fi Solution स्थापित करने के लिए गठित समिति के सदस्य डा. अरविंद कालिया, डा. मुकेश कुमार, डा. धीरेन्द्र शर्मा, अभियंता जसजीत सिंह सोढ़ी द्वारा समिति के समक्ष उक्त Solution का सम्पूर्ण ब्यौरा तथ्यों सहित प्रस्तुत किया गया । इस संदर्भ में राज्य सरकार से प्राप्त पत्र संख्या Fin-F-A (16)-10-25/2018 दिनांक 10.06.2019 के संदर्भ में समिति को अवगत करवाया कि मामले की निदेशक, DIT से परीक्षण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि श्री राजीव शर्मा, संयुक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार Committee के सदस्य रहे हैं तथा Technical Specifications को उन्हीं की देख रेख में अंतिम रूप दिया गया है जिसके आधार पर निविदा प्रक्रिया अपनाई गई है । CISCO based Wi-Fi Solution का चयन उक्त कार्य के लिए गठित तत्कालीन समिति द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 26.12.1014 को किया गया था क्योंकि CISCO based Wi-Fi Solution NIC के भारतवर्ष में सभी कार्यालयों में स्थापित है जिससे User Security और Connectivity को ensure किया जा

सकता है । साथ ही CISCO based Wi-Fi Solution के Delhi based Controller को भी विश्वविद्यालय उपयोग में ला सकता है । उक्त Solution 07 वर्ष की Warranty के साथ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

विश्वविद्यालय परिसर में Wi-Fi सुविधा स्थापित करने हेतु CISCO based Solutions का माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) द्वारा पूछे जाने पर कि CISCO Solution सीधे तौर पर निर्माता से क्रय नहीं किया जा सकता । इसके प्रत्युत्तर में डा. अरविंद कालिया ने समिति को अवगत करवाया कि CISCO dealer के माध्यम से ही Solution उपलब्ध करवाता है तथा उसने dealers को authorize भी किया है । इसलिए dealers के माध्यम से प्रतियोगी दरों पर Solution खरीदना प्रस्तावित है, क्योंकि विश्वविद्यालय में पहले से ही CISCO based Solutions लगा हुआ है, इसलिए बाकी का भी CISCO का ही होना चाहिए ।

जहां तक Bharti Infratel द्वारा Free Wi-Fi Solution देने का प्रस्ताव है उसे इस belated स्टेज पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि विश्वविद्यालय पहले ही M/s Spacetel से Tower Installation का exclusive agreement 10 वर्ष के लिए कर चुका है । इसके अतिरिक्त उक्त Company जो equipment लगाना प्रस्तावित कर रही है वो पहले लगे हुए CISCO based system से compatible नहीं है । जिसका CISCO के साथ कोई comparison नहीं है । CISCO High End Wi-Fi Solution है ।

उपरोक्त विवरण/निर्णय पर सहमति जताते हुए वित्त सीमिति ने मामले में आगामी कार्यवाही हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया ।

मद संख्या 5. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासनिक एवं लिपिक वर्गों के (भर्ती, पदोन्नति एवं अन्य शर्तो) नियमों में प्रावधान के अन्तर्गत पूर्व वित्त समिति के अनुशंसा उपरान्त कार्यकारिणी परिषद द्वारा दिनांक 31.3.2019 तक पदोन्नति हेतु निर्धारित सेवाकाल में प्रदान की गई एक वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 31.3.2020 तक जारी रखने बारे मामला पुन: वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुशंसा हेतु प्रस्तुत ।

अनुमोदित । वित्त समिति ने मद पर विस्तारपूर्वक चर्चा के उपरांत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अधिकारी स्तर पर योग्य उम्मीदवार निर्धारित सेवाकाल पूरा न होने के कारण उपलब्ध न होने तथा उक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता के दृष्टिगत उपलब्ध पदों के विरुद्ध विश्वविद्यालय में अनुभाग अधिकारी से सहायक कुल सचिव एवं सहायक कुल सचिव से उप कुल सचिव के पदों पर तथा उप कुल सचिव के पद से योजना विकास अधिकारी तथा अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक के पद पर निर्धारित सेवाकाल में पदोन्नति बारे निर्धारित सेवाकाल में पूर्व की भांति एक वर्ष की छूट 01.04.2019 से 31.03.2020 तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की । उपरोक्त मामले पर समिति ने यह निर्णय भी लिया कि भविष्य में पदोन्नति संबन्धित मामले निर्धारित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार ही किए जाएंगे ।

मद संख्या 6. भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में निहित प्रावधान के अन्तर्गत सेवाकाल में छूट प्रदान करके सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर पदोन्नति का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमति हेतु प्रस्तुत।

अनुमोदित। वित्त समिति ने मद अनुरूप वरिष्ठ व्यव्सायिक सहायक (पुस्तकालय) से सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित सेवाकाल में 06 माह की छूट प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या 7. To Place the matter for grant of Assured Financial Upgradation Scheme (AFUS) of Panjab University, Chandigarh to Existing Laboratory Staff of Himachal Pradesh University in pursuant of the decision of Executive Council vide resolution No. 23(5) of its meeting held on 29.03.2018.

अनुमोदित। वित्त समिति ने उपरोक्त मद के संबंध में यह भी निर्णय लिया कि यह निर्णय केवल मौजूदा लैबोरेटरी कर्मचरियों के लिए ही लागू होगा। भविष्य में नियुक्त होने वाले लैबोरेटरी कर्मचरियों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार ही वेतन एवं अन्य वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएंगे।

मद संख्या 8. To place before the Finance Committee the matter of amendment/drafting the R&P rules for the post of Junior Draughtsman on the analogy of the Himachal Pradesh Public Works Department.

अनुमोदित। समिति ने संबन्धित पद के लिए मद में प्रस्तावित भर्ती एवं पदोन्नति के क्रमांक (ii) के अंतर्गत निर्धारित Certificate Course के साथ अंकित equivalent शब्द को निरस्त करने की सिफारिश की।

मद संख्या 9. To place before the Finance Committee the matter of amendment in the provision of 100% by promotion to 50 % by promotion and 50% by direct recruitment in the existing R&P rules for the post of Security Supervisors.

अनुमोदित। समिति ने सुरक्षा गार्ड से सुरक्षा पर्यविक्षक के पद हेतु पदोन्नति के लिए सुरक्षा पर्यक्षकों के 9 सृजित पदों में से 01 पद को निरस्त कर शेष 08 पदों को 50% पदोन्नति एवं 50% सीधी भर्ती द्वारा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में आवश्यक संशोधन कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या 10. To place before the Finance Committee the matter of filling up of one post of Professor and two posts of Associate Professor by creating one post of Professor and one post of Associate Professor through direct recruitment as per NCTE norms.

अनुमोदित । उपरोक्त मद के संदर्भ में वित्त समिति द्वारा दिनांक 18.01.2019 की बैठक में मद संख्या 9 के अंतर्गत लिए गए निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए शारीरिक शिक्षा विभाग में उपलब्ध कोच के 12 पदों को जिन्हे सहायक आचार्य तथा सह-आचार्य के पद पर re-designate किया गया है उन में से 01 पद आचार्य एवं 01 पद सह-आचार्य में परिवर्तित कर NCTE मानदंडो के अनुसार 01 पद आचार्य, 02 पद सह-आचार्य, एवं सहायक आचार्यों के 04 पद सृजित कर भरने की संस्तुति प्रदान की ।

मद संख्या 11. To place before the Finance Committee the matter regarding regularization of services of contractual employees working in Institute of Integrated Himalayan Studies from the date of Completing of five years' service in terms of instructions of Govt. of H.P.

अस्वीकृत ।

मद संख्या 12. To Place before the Finance Committee the matter of creation of posts of various categories in the H.P. University, Central Library as per decision of Finance Committee held on 18.01.2019.

स्थगित । समिति ने उपरोक्त मद को वर्तमान में विश्वविद्यालय पुस्तकालय में कार्यरत कर्मचारियों के कार्य संबंधी सम्पूर्ण विवरण सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया ।

मद संख्या 13. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पुस्तकालय में कार्यरत पुस्तकालय परिचरों को पूर्व में वित्त समिति द्वारा संरक्षित ग्रेड पे रुपये 1900/- के निर्णय में आवश्यक संशोधन का मामला वित्त समिति के विचारार्थ व आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

मद को निर्लिप्त किया गया । वित्त समिति ने उपरोक्त मद को कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति से संबन्धित पूर्ण विवरण सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया ।

मद संख्या 14. To place before the Finance Committee the decision of Finance Committee taken vide item No. 4 of its meeting held on 18.01.2019 for modification.

मद पर चर्चा के उपरांत समिति द्वारा विश्वविद्यालय में Legal Cell को सुदृढ़ करने हेतु Legal Assistant (With Legal background) के एक पद को वेतनमान 10300-34800+4400 (GP) में सृजित कर सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या 15. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/संस्थानों/केन्द्रों में आमंत्रित विषय विशेषज्ञों/वक्ताओं/व्याख्याताओं को रु. 1000/- प्रति आमंत्रित व्याख्यान (अवधि-60 मिनट/एक घंटा) प्रदान करने का प्रकरण वित्त समिति के अवलोकनार्थ एवं यथोचित निर्णय हेतु प्रस्तुत है ।

अनुमोदित ।

मद संख्या 16. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में टैक्सी/छोटे वाहनों को भाड़े पर लेने हेतु दरें निर्धारित करने का प्रकरण वित्त समिति के विचारार्थ एवं कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

वित्त समिति द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या TPT-F(5)-3/2003-I दिनांक 27.11.2018 द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण की टैक्सी/छोटे वाहनों की भाड़ा दर के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 3-12/76-HPU (Genl.) Vol.-III-दिनांक 15.05.2019 के अंतर्गत प्राप्त T.A. Bills का भुगतान उक्त अंगित अधिसूचना के आधार पर निष्पादन की स्वीकृति प्रदान की तथा राज्य सरकार की प्रतावित अधिसूचना में मद संख्या 1 के अंतर्गत Ordinary Taxi Cab के साथ Own Car को सम्मिलित करने की स्वीकृति भी प्रदान की ।

मद संख्या 17. To place before the Finance Committee the request of University Legal Counsel to allow retainership in respect of Lawyers engaged in Lower Courts by the University and request of Legal Advisor of the University for enhancement of retainership from existing Rs. 7500/- per month to Rs. 10000/- per month and legal fee @ Rs. 10000/- per suit instead of Rs. 5000/- per suit.

मद पर चर्चा उपरांत वित्त समिति ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा अधिवक्ताओं के Retainership शुल्क को ₹ 7500/- से ₹ 9000/- एवं Legal शुल्क को ₹ 5000/- से ₹ 6000/- करने की स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या 18. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय वित्त समिति के समक्ष विश्वविद्यालय परिसर के विस्तारिकरण के फलस्वरूप अतिरिक्त रख-रखाव संबंधी कार्यों के समयबद्ध निष्पादन के मद्देनजर विश्वविद्यालय निर्माण मण्डल हेतु एक मोहिन्द्रा केम्पर(बोलेरो) गाड़ी खरीदने एवं उक्त पद हेतु हल्का वाहन चालक का एक पद हिमाचल प्रदेश सरकार में प्रचलित उक्त पद हेतु भर्ती एवं पदोन्नति नियम के अनुरूप वेतनमान रुपए 5910-20200+2000 (ग्रेड पे) में सृजन का मामला विचारार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

अस्वीकृत ।

मद संख्या 19. In compliance of Orders dated 28-12-2018 in OA No. 6423 of 2017 titled as Vinod Kumar Guleria Vs. Himachal Pradesh University & Others, the matter of prayers made therein by the Applicant under Para-7(i) and (ii) is placed before the Finance Committee for consideration and decision.

माननीय प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा OA 6423/17 में पारित आदेश दिनांक 28/12/2018 के संदर्भ में श्री विनोद कुमार गुलेरिया के Rain Water Harvesting Officer के पद को विश्वविद्यालय अध्यादेश (University Ordinances) में शामिल करने तथा उक्त मामले को वित्त समिति व कार्यकारिणी परिषद द्वारा विचार करने व उचित निर्णय के संदर्भ में वित्त समिति द्वारा मामले का व्यापक परीक्षण किया गया । परीक्षण उपरांत पाया गया कि वास्तव में विश्वविद्यालय में अस्थायी रूप से Rain Water & Harvesting Cell, Dean, College Development Council के अंतर्गत प्रारम्भ किया गया था जिसमें श्री विनोद कुमार गुलेरिया, प्रारूपकार को उक्त कार्य अपने वर्तमान दायित्वों के साथ निर्वहन करने का जिम्मा बिना किसी वित्तीय लाभ के साथ सौंपा गया था तथा Rain Water Harvesting Officer का कोई पद सृजित नहीं किया गया है । वर्तमान में यह कार्य अधिशासी अभियंता निर्माण मण्डल-I के अधीन किया जा रहा है तथा पूर्णकालिक सेल का वर्तमान में कोई औचित्य नहीं है ।

मद संख्या 20. To place before the Finance Committee the matter of creation of Superintendent Gr. II, by conversion of 32 existing vacant post(s) of Senior Assistant for consideration and approval.

अस्वीकृत ।

मद संख्या 21. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कार्यरत निजी स्टाफ के अधिकारियों/कर्मचारियों को अगले उच्च पद पर व्यक्तिगत क्रमोन्नति प्रदान करने का मामला वित्त समिति का समक्ष विचारार्थ/अनुमति हेतु प्रस्तुत ।

अस्वीकृत ।

मद संख्या 22. To place before the F.C. matter regarding hiring of services of the Wi-Fi Network Engineer through NIELIT, Shimla and Creation of Post of Wi-Fi network Engineer in the Campus Wide Optical Fibre Network (CWOFN), HPU, Shimla in the scale of 15600-39100+5400 (GP).

वित्त समिति द्वारा NIELIT से Outsource आधार पर Wi-Fi Network Engineer की सेवाओं को जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मद संख्या 23. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूल (वाहन) कार्यालय में परिचालक के पद की व्यक्तिगत क्रमोन्नति कर, उस पर कार्यरत श्री जोगिन्द्र कुमार को सहायक पूल अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने बारे मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं उचित संस्तुति हेतु।

अस्वीकृत।

मद संख्या 24. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रारूपकार सर्वश्री बलदेव सिंह राणा व संदेश कुमार के एक ही पद पर लगभग पंद्रह वर्ष से अधिक का सेवाकाल पूर्ण करने तथा पदोन्नति में गतिहीनता/ठहराव के कारण मुख्य प्रारूपकार के रूप में वर्तमान आहरित पद को क्रमोन्नत कर व्यक्तिगत क्रमोन्नति का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ एवं संस्तुति हेतु।

अस्वीकृत।

मद संख्या 25. To place the matter regarding promotion/re-designation of Smt. Suminder Gupta, Ward Sister to the post of Matron and also for grant of ACP Scheme 4-9-14, with all consequential benefits, before the Finance Committee for consideration/decision.

अस्वीकृत।

मद संख्या 26. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत श्री रमेश चंद को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में पदोन्नति बारे निहित वांछित सेवाकाल में एकमुश्त छूट प्रदान करते हुए सुरक्षा पर्यवेक्षक के रिक्त पड़े पद पर वेतनमान रु. 10300-34800+3600 ग्रेड पे पर पदोन्नति प्रदान करने बारे मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ एवं संस्तुति हेतु प्रस्तुत है।

अस्वीकृत।

अतिरिक्त मदें

मद संख्या 1. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्थापित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गुरु नानक देव एवं स्वामी दयानन्द पीठों के सुचारु संचालन हेतु प्रकरण वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

अनुमोदित । वित्त समिति ने उपरोक्त पीठों के अतिरिक्त स्वामी विवेकानन्द एवं डा. केशव बलिराम हेडगेवार पीठों के संचालन हेतु सहमति प्रदान की तथा संबन्धित पीठों के रख-रखाव हेतु व्यय का वहन विश्वविद्यालय द्वारा अपने संसाधनों से किया जाएगा ।

मद संख्या 2. To place before the Finance Committee the matter grant of regular pay scale of Rs. 15600-39100+6000 AGP to existing contractual teaching/technical personnel of the UIIT appointed under Self Financing scheme from retrospective date i.e. w.e.f. 29.08.2012.

अस्वीकृत ।

मद संख्या 3. वित्त समिति के समक्ष हि.प्र. विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्र धर्मशाला के लिए स्टाफ नर्स (Staff Nurse) के पद सृजन बारे ।

अनुमोदित ।

मद संख्या 4. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय वित्त समिति के समक्ष विश्वविद्यालय निर्माण एवं रख-रखाव मण्डल में कार्य निष्पादन हेतु विश्वविद्यालय वित्त समिति की दिनांक 04-08-2017 की मद संख्या 13 के अंतर्गत लिए गए निर्णय की अनूपालना में हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (HPSEDC) एवं उत्तम हिमाचल (Uttam Himachal) से बाह्य स्त्रोत पर भाड़े/मजदूरी पर रखे गए कुशल तथा अर्द्ध-कुशल कामगारों की विस्तृत जानकारी एवं आवश्यकतानुसार बेलदार संवर्ग के अतिरिक्त 15 श्रमिकों को भाड़े/मजदूरी पर रखने का मामला विचारार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।

मद को निर्लिप्त किया गया ।

मद संख्या 5. अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र (ICDEOL) में दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र एवं छात्राओं के छात्रावास परिचारकों (Hostel Attendants) के 02 पदों (एक महिला व एक पुरुष) को सृजित करने बारे प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत है ।

अनुमोदित । वित्त समिति द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र (ICDEOL) द्वारा संचालित छात्रावास के लिए परिचारकों के 01-01 पद (महिला/पुरुष) को Outsource आधार पर भरने की सिफारिश की ।

मद संख्या 6. To place before the Finance Committee the matter for creation of non-teaching posts in the Department of Physical Education.

अनुमोदित । वित्त समिति द्वारा शारीरिक शिक्षा विभाग में NCTE मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की :

1.	अधीक्षक ग्रेड-II	01
2.	तकनीकी सहायक	01
3.	डाटा एंट्री ऑपरेटर	01
4.	मार्कर	02
5.	प्रयोगशाला परिचर (Lab Attendant)	01

मद संख्या 7. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कार्यरत, श्री विनोद कुमार, प्रारूपकार के अभ्यावेदन अनुसार, श्री संदेश कुमार एवं श्री बलदेव सिंह राणा की तर्ज पर उनके द्वारा वर्तमान में आहरित प्रारूपकार के पद को मुख्य प्रारूपकार के रूप में क्रमोन्नत कर व्यक्तिगत क्रमोन्नति का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ एवं संस्तुति हेतु ।

अस्वीकृत ।

मद संख्या 8. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कार्यरत चतुर्थ/तकनीकी संवर्ग के ऐसे शेष कर्मचारियों, जो कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर विकल्प पत्र भरने में असमर्थ रहे, को नई सुनिश्चित जीवन प्रौन्नति योजना (04/09/14) के अंतर्गत वित्तीय लाभ प्रदान करने बारे ।

अनुमोदित ।

यथा स्थान मदें

मद संख्या 1. To place before the Finance Committee the matter of creation of (01) post of Joint Director and adoption of R&P Rules and pay scales for the said post on the analogy of R&P Rules of Public Relations Department of Himachal Pradesh.

स्थगित ।

मद संख्या 2. श्री दीनानाथ, जमादार द्वारा आहरित पद को रिस्टोरर के पद पर क्रमोन्नत कर व्यक्तिगत क्रमोन्नति बारे मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं जो भी उचित संस्तुति हो हेतु रखने बारे ।

अनुमोदित । वित्त समिति द्वारा मद पर चर्चा करने के उपरांत श्री दीनानाथ, जमादार द्वारा विश्वविद्यालय को 36 वर्ष तक चतुर्थ श्रेणी में प्रदान की गई सेवाओं के मध्यनजर व्यक्तिगत क्रमोन्नति प्रदान कर रिस्टोरर के पद पर क्रमोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या 3. वित्त समति द्वारा दिनांक 11.09.2018 को हुई बैठक की अतिरिक्त अनुक्रमणी खंड-II, मद संख्या-7 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अधिकारियों व तृतीय श्रेणी के संवर्गों में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने बारे क्रमांक 4 पर लिए गए निर्णय पर हि.प्र.वि. निजी सचिव/आशुलिपिक संगठन द्वारा जताई गई आपत्ति के फलस्वरूप मामला पुन: वित्त समिति के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ एवं संस्तुति हेतु प्रस्तुत है ।

स्थगित ।

बैठक धन्यवाद प्रस्ताव सहित सम्पन्न हुई ।

(नरेन्द्र ठाकुर)
सदस्य

(डा. जे. एस. नेगी)
सदस्य

(आचार्य नैन सिंह)
सदस्य

(अनिल कुमार खाची)
सदस्य

(आचार्य राजेन्द्र सिंह चौहान)
प्रति-कुलपति

पुष्टीकरण

(आचार्य सिकन्दर कुमार)
कुलपति,
हि.प्र. विश्वविद्यालय, शिमला-5